

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़
(प्रथम अपील अधिकारी अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)
पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.एस.

प्र.सं. 32 / 2024

जी.सी.एस.एस. नं. : 2024 / 141

लक्ष्य गहलोत पुत्र उमाशंकर गहलोत निवासी कोयला गली, वार्ड नं. 52 बीकानेर।

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार रावला

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम

-:: निर्णय ::-

दिनांक : 06.09.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलार्थी के द्वारा यह प्रथम अपील इस आधार पर प्रस्तुत की है कि लोक सूचना अधिकारी के द्वारा 30 दिवस की अवधि बीत जाने के बाद भी सूचना उपलब्ध नहीं करवाई है सूचना उपलब्ध करवाने हेतु निवेदन किया है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पत्र के संबंध में जवाब प्रतिवेदन तलब किया गया।

तहसीलदार रावला के पत्रांक/आरटीआई/2024/682 दिनांक 06.09.2024 के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवा दी गयी है। तहसीलदार रावला के द्वारा प्रतिवेदन के साथ अपने पत्रांक/रीडर/2024/343 दिनांक 19.07.2024 की छायाप्रति प्रेषित की गयी है, जिसके माध्यम से उनके द्वारा अपीलार्थी को सूचना प्रेषित की गयी है।

पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी के द्वारा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रावला को ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से दिनांक 12.06.2024 को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर तहसीलदार रावला के द्वारा दिनांक 19.07.2024 को अपीलार्थी को सूचना प्रेषित की गयी है। प्रकरण में लोक सूचना अधिकारी द्वारा निश्चित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गयी है। उक्त अवधि के दौरान दिनांक 14.07.2024 को अपीलार्थी के द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण में अपीलार्थी को सूचना प्रेषित की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में चूंकि अपीलार्थी को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार रावला द्वारा सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है, अपील पत्र पर कोई कार्यवाही शेष नहीं रह गयी है। अपील खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है और तहसीलदार रावला को निर्देशित किया जाता है भविष्य में निश्चित समयावधि में सूचना का अधिकारी अधिनियम के तहत प्राप्त प्रकरणों का निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को सूचनार्थ/पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 06.09.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(अवधेश मीना)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
I.A.S
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़